चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 01.08.2026 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार मानिकपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। इस समाधान दिवस पर विद्युत, चकबंदी, पैमाइश, चकरोड व जलभराव से संबंधित कई शिकायती पत्र प्राप्त हुए। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा-24 के अंतर्गत पत्थरगढ़ी उखाड़ने के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि यदि जनपद में विधिक पैमाइश के पश्चात पत्थरगढ़ी उखाड़ने का कोई भी प्रकरण सामने आता है, तो दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के पारदर्शी निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों को अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने और महिला संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए।

(3).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 01.08.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एनसीआर न0 61/14 धारा 323,504 आईपीसी के आरोपी अभियुक्त 1.रामेश्वर पुत्र चुन्ना 2.देशराज पुत्र रामेश्वर 3.छोटू पुत्र रामेश्वर निवासीगण अमिलिहा पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 400-400/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया

(4).आज दिनांक 01.08.2026 को पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसियेशन उ0प्र0 (वामा सारथी) के तत्वावधान में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन, चित्रकूट में वात्र्यांन अकैडमी, चित्रकूट द्वारा बच्चों एवं युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप करियर चयन के प्रति जागरूक करना तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना रहा। इस अवसर पर विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास तथा सफलता प्राप्त करने के प्रभावी उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बच्चों एवं युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें अपने जीवन में अनुशासन, निरंतर अध्ययन, कठिन परिश्रम एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने युवाओं को अपनी प्रतिभा को पहचानकर सही दिशा में प्रयास करने तथा समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया।

कार्यक्रम में पुलिस परिवार के बच्चों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया तथा इस प्रकार के मार्गदर्शन कार्यक्रमों को उनके भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया।

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका से बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.05.2026 को एक वादिया द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी गयी कि अभियुक्त सहदेव पुत्र संतोष निषाद निवासी बेराउर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ नित्य क्रिया से लौटते समय रोककर अश्लील हरकत किया एवं मारा पीटा । सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0स0 110/26 धारा 65(1),115(2) व 5(k)2/6 पॉक्सो एक्ट बनाम सहदेव उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 01.08.2026 को उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सहदेव उपरोक्त को कृष्णा जनसेवा केन्द्र राजापुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह

2.आरक्षी पंकज यादव

3.आरक्षी विकाश यादव

4.आरक्षी चालक विमलेश कुमार

(7). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल साइबर सेल एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये 11 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 03 लाख 13 हजार 975/- रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध में पीडित 11 व्यक्तियों के साथ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढानें एवं जॉब दिलाने के नाम धोखाधडी 03 लाख 13 हजार 975/- रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके 11 व्यक्तियों के 03 लाख 13 हजार 975/- रुपया वापस कराया गया।

आमजनमानस को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुपो के माध्यम से हानिकारक APK फाइल डाउनलोड कराने का प्रयास

किया जा रहा है। दुर्भावनापूर्ण रचित APK के निम्न प्रकार हो सकते है- RTO चालान,M परिवहन,YONO SBI etc. ये फाइलें एक मोबाइल वायरस (मेलवेयर) जिसे आपके द्वारा इन्स्टॉल करने पर आपके मोबाइल का सारा डेटा (फोटो,कान्टेक्ट,मैसेज,ओटीपी व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी) चोरी हो सकता है। उसके बचाव के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू दिये जा रहे है-

1.फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने ऑफर प्राप्त होने पर आप कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी शेयर न करें।

2.किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर फोन पर पैसे प्राप्त करनें के लिये यूपीआई पिन न डालना। यूपीआई पिन हमेशा पैसे भेजने के लिये प्रयोग होता है न कि प्राप्त करनें के लिये।

3.किसी भी अनजान लिंक/ वेबसाइट को ओपन करने पर आपकी पर्सनल जानकारी फ्राडर तक साझा हो जाती है, इससे बचें।

4.ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय क्विक सपोर्ट/टीम व्यूवर/कस्टमर सपोर्ट आदि एप का इस्तेमाल करने से आपके हैण्डसेट की स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है, उक्त एप्स के इस्टालेशन से बचें।

5.अज्ञात कॉलर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसों की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

6.साइबर एक्सटार्शन (न्यूड वीडियो क्लिप भेजकर/धमकी भरे हमले को रोकने के लिये पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

7.आपके किसी परिचित को एक्सीडेन्ट/बीमार दिखाकर ईलाज हेतु ऑन-लाइन पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

8.सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सामान बेंचने के नाम पर ठगी(फिसिंग) करतें हैं सामान अधिकृत विक्रेता/दुकान से ही खरीदें किसी को एडवान्स पैसा न भेजें।

9.अज्ञात नम्बरों से हूबहू आपके परिचितों की आवाज में पैसे आदि की डिमाण्ड करने पर अपने उस परिचित से पुष्टि करने के उपरान्त ही पैसे भेंजे।

10.घर बैठे रोजगार (पेन्सिल कारोबार, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइबर बढाये जाने का कार्य) पाने के नाम पर ठगी/पैसे की मांग करनें पर पैसे न भेंजें ।

नोट-किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(8).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0/एफटीसी श्री अश्वनी कुमार

उपाध्याय द्वारा आज दिनाँक 01.08.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1755/2011 धारा 279,337,304A,427 आईपीसी के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 समलिया निवासी बीरा पिक्टा थाना अजयगढ़ जनपद पन्ना म0प्र0 को 06 माह का साधारण कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9)पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 01.08.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2019 धारा 411 आईपीसी के आरोपी अभियुक्त रवि पाण्डेय उर्फ आकाश पाण्डेय पुत्र रघुनन्दन पाण्डेय निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया।